सत्यमेव जयते

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ. (राज.)

पीठीसीन अधिकारी

अनुपमा जोरवाल I.A.S.
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	GCMS.No.	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
18/2020	2020/00050	23.11.2020	26.02.2021

राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी रसद विभाग, प्रतापगढ़

:– प्रार्थी

–: बनाम :–

श्री बाबुलाल माली पुत्र रामचन्द्र माली पुजा स्वीट्स नीमच रोड बैंक ऑफ बडोदा के सामने छोटीसादडी

:– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. पैरोकार सरकार रसद
2. एकतरफा

–: आदेश :– दिनांक 26.02.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी पेरोकार सरकार रसद द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 A आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 26.10.2020 को मय हमराज श्री मनोज कुमार प्रर्वतन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय प्रतापगढ़ द्वारा शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के दौरान संयुक्त रूप से घरेलु गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु नीमच रोड बैंक ऑफ बडोदा के सामने छोटीसादडी स्थित मैसर्स पुज स्वीट्स के परिसर/गोदाम पर 1.42 PM पहुंचे मौके पर रूबरू मौतबिरान श्री किशन पुत्र श्री बाबुला मीणा निवासी मोवाई तहसील छोटीसादडी एवं श्री शोमाराम पुत्र श्री दौलतराम जटिया निवासी रेवडा महादेव, बरखेडा तहसील छोटीसादडी एवं श्री शोभाराम पत्र श्री दौलतराम जटिया निवासी रेवडा महोदव बरखेडा तहसील छोटीसादडी की उपस्थिति में परिसर/गोदाम की जांच करने पर 4 सिलेण्डरों (14.2 कि.ग्रा. मिले, जिससे अवैध रूप से गेस सिलेण्डरों के भण्डारण व व्यावसायिक उपययोग की पुष्टि होती है। मौके पर सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण व बिकी संबंधी आवश्यक विधिक दस्तावेज मांगने पर कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये।

इस प्रकार घरेलु गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण एवं व्यावसायिक उपयोग किये जाने पर मौके पर धर्मपाल पुत्र कल्याण सिंह राजपुत गांव चरलिया गगरोल तहसील छोटीसादडी मेनेजर टांक एच.पी गैस सेन्टर छोटीसादडी द्वारा ईलेक्ट्रोनिक कांटे से तौल करवाने पर निम्न स्थिति पायी गई :–

350

जिला कलक्टर

Scanned with CamScanner

क्रं.सं.	कम्पनी	S.R.No	मानक भार किग्रा	कुल वजन किग्रा	टेयर वजन किग्रा	शुद्ध LPG किग्रा
1	HPC	15804	14.2	16.900	16.300	0.600
2	HPC	863697 T	14	19.900	15.900	4.000
3	HPC	419501	14	17.800	15.700	2.100
4	HPC	35103	14	28.200	16.100	12.100
			योग :–			18.800

इस प्रकार घरेलु गैस सिलेण्डरों को अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग (गैस बर्नर के चुल्हां से रबड, टयुब, रेग्युलेटर से जोडा जाकर एल.पी.जी. को ईधन के रूप में कार्य लिया जाकर चुल्हों पर विभिन्न खाद्य सामग्री का निर्माण किया जाना पाया गया) के फलस्वरूप 4 सिलेण्डरों (14.2 कि.ग्रा.) में 18.800 कि. ग्रा. गैस को जब्त कर वजह सबुत कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु धर्मपाल सिंह मैनेजर टांक एच.पी. गैस सेन्टर छोटीसादडी को सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की मौके पर उपलब्ध मोबाईल फोन से फोटोग्राफ्स लिये गये जो वजह सबुत संलग्न है। निरीक्षण पर्चा मय फर्द अभिग्रहण एवं सुपुर्दगीनाम अलग से तैयार किया गया।

इस प्रकार बाबुलाल माली पुत्र श्री रामचन्द्र माली द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डर को अवैध रूप से वाणिज्यिक उपयोग का कार्य कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के क्लॉज 3 ए सी की अवहेलना की है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का उल्लंघन है। अतः जप्तशुदा 4 सिलेण्डरों 18.800 कि.ग्रा. को राजसात करने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। जिनकी बाद तामील रिपोर्ट संलग्न पत्रावली की। प्रकरण में नियत आगामी तारीख पेशी दिनांक 26.02.2021 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया नकल अप्रार्थी को उपलब्ध कराई गई तथा प्रकरण में बहस अन्तिम उभय पक्ष अन्तिम सूनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किये कि कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था/फर्म किसी प्रकार से घरेलु गैस सिलेण्डर्स का उपयोग उपभोग व्यवसायिक प्रयोनार्थ नहीं कर सकता है क्योंकि व्यवसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग उपभोग हेतु पृथक से व्यवसायिक गैस सिलेण्डर उपलब्ध बाजार रहते है तथा प्रश्नगत प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डरों का उपयोग व्यावसायिक प्रयोजन में लाते हुए सरकार की गाईड लाईन अनुसार घर का रसोई घर ही उपयुक्त स्थान नियत है, का उल्लंघन किया है। अतः प्रार्थपा पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर अवैध रूप से संकलित 04 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने अनुमती प्रदान कराया जाना उचित रहेगा।

इसी प्रकम में दौराने बहस प्रार्थी पैरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी अनुपस्थित। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली का मेरिट आधार पर गहनता पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन कि रोशनी में ज्ञात आया कि रसद विभाग के अधिकारी/कार्मिकों द्वारा दिनांक 26.10.2020 के दौरान वक्त मौका निरीक्षण एवं बाद जांच कार्यवाही तथा मौका पर्चा रिपोर्ट तथा निरीक्षण प्रतिवेदन एवं फर्द जब्ती 04 घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवासायिक प्रयोजनार्थ उपयोग–उपभोग में लाया जाना प्रतीत होता है तथा उक्त समस्त गैस सिलेण्डर तथा अन्य सामग्री के व्यवसायिक प्रतिष्ठान से अप्रार्थी की उपस्थिति में जब्ती अनुसार उक्त घरेलु गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग होना दर्शित रिकार्ड पाया है इस संबंध में अप्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। जिससे अप्रार्थी को कोई अनुतोष प्रदान किया जा सके। प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत समुचित कार्यवाही योग्य प्रतीत होता है।

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी पेरोकार सरकार रसद स्वीकार किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़ को आदेश दिया जाता है कि दिनांक 26.10.2020 को अप्रार्थी के यहाँ से फर्द जब्ती में वर्णित 04 घरेलु गैस सिलेण्डर को अन्तिम रूप से राजसात किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनुपमा जोरवाल)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़

Scanned with CamScanner